राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
dUnh; jkT; Qke] ljnkjx< ¼jkt-½
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com,agricsf@gmail.com

क्रमांकः – सर./कृषि/20/2020–21–　　　　　　　　　　दिनांकः –04.02.2021

fufonk& lwpuk

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ़, जिला–श्रीगंगानगर (राजस्थान) में वर्ष 2021–22 के दौरान रबी 2020–21, जायद–2021 व खरीफ–2021 में उत्पादित विभिन्न फसलों को खण्ड 04 व 05 में स्थित विनोईंग सेन्टरों पर उत्पादन उतारना, ऐलिवेटर व मोबाईल क्लीनर द्वारा सफाई करना, ऐलिवेटर व मोबाईल क्लीनर से निकली दाल व चुरी को साफ करना, उत्पादन को विनोईग सेन्टर पर सुखाना, दोबारा साफ करना तथा रबी, जायद व खरीफ उत्पादन को झार से साफ करना व आदि कार्यो को करने के लिए निविदाएं दिनांक 25.02.2021 को सांय 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है और जो 3.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। आवश्यकतानूसार खुली बोली भी करवाई जा सकती है, जिसके लिए धरोहर राशि रूपये 10000/– (रूपये दस हजार मात्र) प्रति खण्ड का बैंक ड्राफ्ट जो कि "**u'kuy lhMl dkjiksj'ku fyfeVsM] ljnkjx<**" के नाम से सूरतगढ में देय हो के साथ देनी होगी।

उपरोक्त कार्य की दरें प्रति कुण्टल भरने के लिए निविदा फार्म अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय से रुपये 236/–(नॉन रिफन्डेबल) जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती है। एवं किसी भी कार्य दिवस में नियम/शर्तो की जानकारी प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक फार्म के कृषि अनुभाग से ली जा सकती है तथा इसकी विस्तृत जानकारी के लिये वेवसाइड www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है। यदि निविदा वेबसाइड से डाउनलोड करके भेजी जाती है तो निविदा के साथ धरोहर राशि के अतिरिक्त निविदा शुल्क रु.236/– (नॉन रिफन्डेबल) का डिमाण्ड ड्राफ्ट देना होगा। बोलीदाता/निविदादाता को नीलामी के समय अपने पेन कार्ड/ टिन न. की फोटोप्रति व वर्तमान आवासीय पते हेतु आधार कार्ड, राशनकार्ड अथवा अन्य सबूत की फोटोप्रति टेण्डर के साथ संलग्न करनी होगी व खुली बोली में भाग लेने हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होगे।

ukV% & vijkgu 2-00 cts ds ckn dksbZ VsaMj Qke ugha fn;k tk;sxk o 3-00 cts ds ckn dksbZ Hkh VsaMj Qke Lohdkj ugha fd;k tk;sxkA

lgk;d çcU/kd ¼mRiknu½

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
dUnh; jkT; Qke] ljnkjx< ¼jkt-½
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com,agricsf@gmail.com

क्रमांकः – सर./कृषि/20/2020–21 दिनांकः –

foukbix lsVj ij o"kZ 2021&22 esa jch 2020&21] tk;n 2021 ,oa [kjhQ 2021 mRiknu dk mrkjuk] lQkbZ djuk vkfn dk;ksZ dh fu;e o 'krsZ

1. उपरोक्त टेन्डर की धरोहर राशि रूपये 10000/–(दस हजार मात्र) प्रति खण्ड होगी जो कि रबी, खरीफ व जायद उत्पादन के सन्तोषजनक कार्य के वाद बिना ब्याज के वापिस की जायेगी, एवम् सभी फसलों का उत्पादन उतारने का बिल सफाई के बाद वास्तविक वजन पर बनेगा।
2. सफल निविदादाता घोषित होने के बाद यदि निविदादाता किसी भी कारण से निविदा वापिस लेता है अथवा कार्य करने से मना करता है तो उसकी धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
3. असफल निविदादाता को धरोहर राशि बिना ब्याज के टेण्डर के 15 दिनों के भीतर वापिस कर दी जायेगी।
4. चने, सरसों, दाल व चूरी आदि के उत्पादन को उतारने के तुरन्त बाद ही ऐलीवेटर या मोबाईल प्लांट से सफाई करनी होगी।
5. उत्पादन को बार–बार उलट–पुलट कर सुखाना होगा तथा इकट्ठा करके शाम को ढ़कना होगा।
6. बाथू एवं कचरा विनोईंग सेटंर से अलग, ईंचार्ज के द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना होगा एवं यदि कराहा आदि की आवश्यकता होती है तो वह फार्म उपलब्ध करवा देगा।
7. दाल व चूरी की सफाई का बिल गोदाम में दी गयी मात्रा के आधार पर किया जायेगा।
8. ट्रेक्टर ट्रॉली एवं ट्रक को खाली करने के बाद तुरन्त साफ करना होगा।
9. ऐलीवेटर या मोबाईल प्लान्ट पर वैरायटी बदलने पर प्रभारी के निर्देशानुसार अच्छी तरह सफाई करनी होगी, जिससे दूसरी प्रजाति का मिश्रण न हो।
10. खराब मौसम में जैसे आंधी, तुफान एवं बरसात के समय उत्पादन को तिरपाल से ढ़कना होगा।
11. कार्य उच्च अधिकारियों एवं विनोईंग सेंटर ईंचार्ज के आदेशानुसार करना होगा अन्यथा उत्पादन खराब होने पर ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
12. फार्म के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी व फार्म पर आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ अभद्र व्यवहार करने पर ठेकेदार का ठेका रद्द करके अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
13. सफल बोलीदाता को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौते (एग्रीमेन्ट) पर हस्ताक्षर करने होंगे, इसके लिये ठेकेदार को रूपये 100/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर फार्म को उपलब्ध करवाना होगा।
14. कार्य के दौरान मजदूरों के साथ किसी भी प्रकार की घटना/दुर्घटना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
15. ठेकेदार को निविदा के साथ पेन नं0, आधार कार्ड व बैंक खाते की पासबुक की फोटो प्रति लगानी होगी। सभी भुगतान आर0टी0जी0एस0/चैक/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा किये जायेगें। कोई भी भुगतान नगद नही दिया जायेगा।
16. निदेशक केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ़ को बिना किसी कारण से किसी भी समय निविदा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
17. यदि किसी कार्य को करते समय फार्म सम्पति को किसी भी प्रकार का नुकसान ठेकेदार या उसकी लेबर द्वारा किया जाता है तो अनुमानित नुकसान की कटौती ठेकेदार के बिल से की जायेगी।
18. यदि निविदा में पंजीकृत फर्म द्वारा भाग लिया जाता है तो फर्म से सम्बन्धित सभी प्रकार के कागजात निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगे।
19. यदि किसी भी पद या मामले में एन.एस.सी. और दूसरे पक्ष के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनो पक्ष आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से इसे हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान के तहत मुद्दों को हल करने के लिये पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.सी. दोनो पक्षों की सहमति से मुद्दे को हल करने के लिये एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दोनो पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। दोनों पक्ष न्यायालय में जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को हल करने के लिये बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जायेगी। न्यायालय क्षेत्र दिल्ली होगा।
20. कार्य की अवधि वर्ष 2021–22 तक रहेगी।

lgk;d izcU/kd ¼mRiknu½

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
dUnh; jkT; Qke] ljnkjx< ¼jkt-½
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com,agricsf@gmail.com

क्रमांक: – सर./कृषि/20/2020–21– दिनांक: –

क्रमांक:.....................................

[k.M u0-------------

V.Mj & Qke

foukbx lUVj ij fofHkUu dk;k jch 2020&21] tk;n 2021 ,o [kjhQ 2021 d fy;

Ø- l-	dk; dk fooj.k	nj çfr fDo- ¼: i;½ e
1.	रबी 2020–21 जायद 2021 तथा खरीफ 2021 आदि के उत्पादन को विनोइंग सेन्टर पर उतारना (साफ उत्पादन)	....
2.	विनोइंग सेन्टर पर चने की सफाई ऐलीवेटर द्वारा करना (सफाई/सूखने के बाद की मात्रा के आधार पर जो गोदाम को दिया जायेगा)	....
3.	विनोइंग सेन्टर पर रबी/खरीफ तथा जायद फसलो की सफाई मोबाईल क्लीनर द्वारा करना (वास्तविक मात्रा के आधार पर जो गोदाम को दिया जायेगा)	....
4.	मोबाईल क्लीनर से निकली रबी/खरीफ/जायद फसलों की दाल व चूरी को साफ करना	....
5.	ऐलीवेटर से निकली चने, मूंग, उर्द आदि की दाल व चूरी को साफ करना	....
6.	ऐलीवेटर से निकाले कचरे में से चना, मूंग, उर्द आदि की दाल व चूरी की सफाई करना	....
7.	उत्पादित फसल रबी / खरीफ/जायद फसलों का उत्पादन को विनोइंग सेन्टर पर सुखाना	....
8.	रबी / खरीफ/जायद उत्पादन को ऐलीवेटर से दुबारा साफ करना (आवयकतानुसार)	....
9.	रबी, जायद व खरीफ उत्पादन को झार आदि से साफ करना (आवश्यकतानुसार)	....

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नामः – ....
पिता का नामः – ....
गांव व पोस्टः – ....
जिलाः – ....
फोन नं.: – ....
पान नं0...
आधार कार्ड नं0...